अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ.1183(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

- धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:
 - 1. प्रो. दिलीप चंद्र नाथ, कुलपति, असम विश्वविद्यालय, सिलचर (असम)
- II. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :
 - 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य
- III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य:
 - 3. संस्थान के निदेशक

- पदेन सदस्य

- IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:
 - 4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय.

भारत सरकार

- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

5. रिक्त

V. धारा 4 के खंड (ड़) के तहत सदस्य :

- 6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- 7. मुख्य सचिव, असम सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- 8. प्रो. के.एस. रंगाप्पा, अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन
- 9. डॉ. डी.एन.पांडे, निदेशक और प्रोफेसर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- 10. डॉ. चित्रा सरकार, डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, पैथोलॉजी, एम्स, दिल्ली

VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

- 11. डॉ. बाबुल बेज़बरुवा, प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी, सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सिलचर, असम
- 12. डॉ. तुलसी भट्टाचार्य, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी
- 13. प्रो. नरेन बाबू, प्रोफेसर , एनाटोमी, आरआईएमएस, इम्फाल, मणिपुर

14. डॉ. जी के मैधी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, सामुदायिक औषधि, निग्रम्स, शिलांग, मेघालय

VII. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत]:

- 15. रिक्त
- 16. रिक्त
- 17. रिक्त

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा.सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 1183(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby constitutes the **All India Institute of Medical Sciences, Guwahati** consisting of the following members, namely:-

- I. Member under clause (a) of Section 4:
- 1. Prof. Dilip Chandra Nath, Vice Chancellor, Assam University, Silchar (Assam)
- **II.** Member under clause (b) of Section 4 :
 - Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India -ex-officio
- III Member under clause (c) of Section 4:
 - 3. The Director of the Institute

- ex-officio

- IV Member under clause (d) of Section 4:
 - 4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India Representative of Ministry of Finance
 - 5. Vacant
- V. Member under clause (e) of Section 4:
 - 6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
 - 7. Chief Secretary, Government of Assam or his/her nominee
 - 8. Prof. K.S. Rangappa, President, Indian Science Congress Association
 - 9. Dr. D.N. Pandey, Director & Professor, Jaipuria Institute of Managaement, Noida, Uttar Pradesh
 - 10. Dr. Chitra Sarkar, Dean (Research) & Professor of Pathology, AIIMS Delhi
- VI. Member under clause (f) of Section 4 :
 - 11. Dr. Babul Bezbaruah, Professor of Pharmacology, Silchar Medical College and Hospital, Silchar, Assam
 - 12. Dr. Tulsi Bhattacharya, Professor & HOD, Orthopaedics, Guwahati Medical College, Guwahati
 - 13. Prof. Naren Babu, Professor of Anatomy, RIMS, Imphal, Manipur
 - 14. Dr. G.K. Medhi, Professor & HOD, Community Medicine, NEIGRIHMS, Shillong, Meghalaya

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

- 15. Vacant
- 16. Vacant

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]